न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 24 / 2023

1. देसराज पुत्र बुटासिंह जाति बावरी निवासी 3 एसएसएम ए सियासर चौगान तहसील खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. सुभाषचन्द्र पुत्र रणजीतराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एसएसएम ए सियासर चौगान तहसील खाजूवाला
2. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :– 06.04.2023

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 3 एसएसएम ए 87 / 55 के किला नं0 11,12,13 में 10 बिस्वा, 16 ता 25 की 3.1613 है0 खातेदारी शुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा इसी चक के मु0नं0 87 / 56 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान करवाना चाहता है। क्योंकि मु0नं0 87 / 56 के किला नं0 21 ता 25 में 4–4 बिस्वा की रोड़ स्वीकृत चालू है तथा आबादी व मण्डी वगैरह में जाने के लिए व अन्य कृषि कार्य के लिए वगैरह वगैरह व ढ़ाणी तक पहुंच के लिए तथा प्रार्थी के बच्चों के स्कूल वगैरह मे पहुंचने के लिए मु0नं0 87 / 56 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा का रास्ता कटान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को काफी परेशानियों से निजात मिल जायेगी तथा प्रार्थी के सबसे अधिक पहुंच के लिए सुविधाजनक होगा। अतः चक 3 एसएसएम ए मु0नं0 87 / 56 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थनापत्र धारा 151 सीपीसी जल्द सुनवाई पेश कर राजीनामा व जवाब प्रार्थनापत्र 251 ए आरटीएक्ट इकबालिया जवाब पेश किया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है मैने डीएलसी की दुगुनी राशि प्राप्त कर ली है। अब अप्रार्थी के मुरब्बा नं0 87 / 56 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान कर दिया जाता है तो मुझे कोई उज्र एतराज नहीं है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र व राजीनामा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 3 एसएसएम ए के मु0नं0 87 / 56 जो कि किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान करने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी सं0 1 ने मु0नं0 87 / 56 की जमाबंदी पेश की है जिसमें उक्त मुरब्बा के किला नं0 1 ता 25 की 6.0695 है0 भूमि सुभाषचन्द्र के नाम दर्ज है। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व जवाबप्रार्थनापत्र सहमतिपत्र के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पक्षकारों ने स्वंय लिखा है कि उक्त रास्ता के बदले डीएलसी की दुगुनी राशि प्राप्त कर ली है। अतः चक 3 एसएसएम ए के मु0नं0 87/56 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)